प्रेस विज्ञप्ति

जेनसोल खाता समीक्षाधीन: इरेडा ने फर्जी दस्तावेजों के बारे में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई; ऋणदाता की मंजूरी के बिना प्रमोटर होल्डिंग में डाइल्यूशन

नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2025

जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसके प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के बाद, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों और कंपनी के उचित डिलिजेंस प्रोटोकॉल के अनुसार आंतरिक समीक्षा शुरू की है। जेनसोल का खाता वर्तमान में तनावग्रस्त (स्ट्रेस) में है, लेकिन इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

इरेडा की जांच और जोखिम समितियां इस मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं। समीक्षा के परिणाम के आधार पर संपार्श्विक और वसूली के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी दस्तावेजों पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संप्रेषण के संबंध में, इरेडा ने स्पष्ट किया कि उसने जिन पत्रों का उल्लेख किया है, उन्हें उसने जारी नहीं किया है। प्रमोटरों ने ऋणदाताओं की मंजूरी के बिना अपनी शेयरधारिता में डाइल्यूटेड की है, जोकि अनुबंध का उल्लंघन है। इसे ध्यान में रखते हुए , इरेडा ने 24 अप्रैल 2025 को जेनसोल के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में उपरोक्त मामलों के बारे में शिकायत दर्ज कराई है।

इरेडा जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी का मूल्यांकन समाप्त होने के बाद सभी हितधारकों को अद्यतन करेगा। इरेडा सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करता है कि वे जांच जारी रहने तक अटकलों से बचें।

****